UPJL010045852019

Presented on : 14-08-2019
Registered on : 14-08-2019
Decided on : --
Duration :

IN THE COURT OF
Spl. Judge D.A.A
AT ,Jalaun
(Presided Over by Sri Prakash Tiwari)

परिवाद संख्या 138 सन 2019

राहुल प्रकाश, उम्र करीब 27 वर्ष, पुत्र राजेन्द्र अग्रवाल, निवासी 87 तुलसी नगर उरई, जनपद जालौन।
——— परिवादी।

बनाम

1— ओम प्रकाश गुप्ता, उम्र करीब 48 वर्ष, पुत्र श्रीराम गुप्ता,
2— सत्य प्रकाश गुप्ता, उम्र करीब 30 वर्ष, पुत्र श्रीराम गुप्ता,
निवासीगण श्रीराम गुप्ता, किराना स्टोर पेट्रोल पम्प के पास एट, थाना एट,
जनपद जालौन ————विपक्षीगण।

23/25.01.2021

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सविस्तार सुना जा चुका है।

हस्तगत प्रकरण परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3)दं0प्र0सं0 दाण्डिक विविध सं0 07 सन् 2018 पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.09.2018 के आधार पर प्रारम्भ हुआ, जिसके अनुक्रम में थाना कोतवाली उरई में मुकदमा अपराध संख्या 867/2018 अर्न्तगत धारा 392 भा0दं0सं0 दिनांक 08.09.2018 को विरूद्ध अभियुक्तगण ओम प्रकाश गुप्ता व सत्य प्रकाश गुप्ता पंजीकृत हुई तथा बाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा परिवाद में व्यवहरित किया गया।

परिवाद/प्रोटेस्ट याचिका के माध्यम से संक्षेप में परिवादी का कथन है कि दिनॉक 07.08.2018 को समय लगभग 10.30 बजे सुबह परिवादी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सिटी ब्रांच राठ रोड उरई, से बीस हजार रूपये निकाल कर अपने पिता के साथ पैदल घर की ओर जा रहा था, तभी बैंक से 50 कदम आगे मौनी मंदिर की ओर ओवर ब्रिज के किनारे दो व्यक्ति काले रंग की मोटर साइकिल से परिवादी की तरफ आये, उसमें पीछे बैठे व्यक्ति ने परिवादी के पैसों वाले बैग को झपट्टा मारकर छीन लिया। परिवादी के पिता ने चालक को पकड़ लिया, तभी उसने तमंचा लगा दिया और बैग लेकर फरार हो गये। परिवादी व उसके पिता जी ने दिमाग पर जोर डाला तो ज्ञात हुआ कि उक्त दोनों व्यक्ति ओम प्रकाश गुप्ता व सत्य प्रकाश गुप्ता पुत्रगण श्रीराम गुप्ता, निवासीगण कस्बा व थाना एट, जनपद जालौन थे, जिन्हे परिवादी व उसके पिता पहले से जानते थे। ओम प्रकाश गुप्ता मोटर साइकिल चला रहा था और इसी ने तमंचा लगाया तथा दूसरा व्यक्ति सत्य प्रकाश गुप्ता जिसने परिवादी का बीस हजार रूपये वाला बैंग छीना था। उक्त लोग मोटर मोटर साइकिल की नम्बर प्लेट पर कागज चिपका कर, ए/एफ लिखे हुये थे। परिवादी व उसके पिता चिल्लाये, किन्तु मंगलवार होने के कारण बाजार बंद था, इसलिये कोई दुकानदार भी नहीं मौजूद थे। परिवादी उक्त घटना की रिपोर्ट

Digitally signed by Prakash Tiwari
Date: 2021.02.18 17:43:21 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Jalaun at Orai

करने थाना कोतवाली उरई गया, किन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। तब परिवादी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर थाना कोतवाली उरई में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं बाद विवेचना न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।

परिवाद के रूप में व्यवहरित होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक जॉच के स्तर पर स्वयं परिवादी राहुल प्रकाश को परीक्षित किया गया एवं बतौर स्वतंत्र साक्षी पी0डब्लू01 शिवराम, पी0डब्लू02 राजेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया है। न्यायालय की ओर सी0डब्लू01 मु0 हुसैन, सी0डब्लू02 गिरवर सोनी एवं सी0डब्लू03 आरिफ को तलब कर बयान अंकित किये गये हैं। परिवादी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में सूचीपत्र से एकाउण्ट स्टेटमेंट दिनांकित 05.08.2018 से 10.08.2018 की छाया प्रति, दो किता बैंक पासबुक की छाया प्रति, एस0बी0आई0 बैंक को दिये गये शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांकित 09.08.2018 की छाया प्रति एवं समाचारपत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

विधि यह है कि धारा 204 द0प्र0सं0 के अधीन आदेशिका जारी करने के लिए अवर न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया मामला देखना है, तथ्यों की सत्यता या संभावना का गुण–दोष पर विश्लेषण अपेक्षित नहीं है। निर्णयज विधि **Chotelal Mali @ Girdhari Mali & Ors. Vs State of U.P. & Ors. 2010 (1)** के प्रस्तर 7 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 204 द0प्र0सं0 की आदेशिका जारी करने के लिये साक्ष्य का विश्लेषणात्मक प्रयोग अनुमन्य नहीं है, केवल न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामले को देखना है और प्रथम दृष्टया मामले का तात्पर्य यह है कि प्रथम दृष्टया वह तथ्य साबित हो रहा, जिसे खन्डित न किया जाय तो उससे दोषसिद्वि परिणित होगी। निर्णयज विधि **Gambhir Singh R Dekre Vs. Phalgun bhai Chiman Bhai Patel AIR 2013 S.C. 1590** में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिवाद पर संज्ञान लेने के स्तर पर अभियोगों की सत्यता में नहीं जाया जा सकता है। निर्णयज विधि **Km. Nisha Sharma & Anr. Vs. State of U.P. 2016 (92) ACC 364** के माध्यम से उपरोक्त विधिक स्थिति की पुष्टि की गयी, किन्तु इसी क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णयज विधि **Pepsi Foods Ltd. & Anr. Vs. Spl. Judicial Magistrate, 1998 (5) SCC 749** का उल्लेख भी अत्यन्त प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि *"Summoning of an accused in a criminal case is a serious matter. Criminal law cannot be set into motion as a matter of course. It is not that the complainant has to bring only two witnesses to support his allegations in the complaint to have the criminal law set into motion. The order of the magistrate summoning the accused must reflect that he has applied his mind to the facts of the case and the law applicable thereto. He has to examine the nature of allegations made in the complaint and the evidence, both oral and documentary in support thereof and would that be sufficient for the complainant to succeed in bringing charge home to the accused. It is not that the magistrate is a silent spectator at the time of recording of preliminary evidence before summoning the accused. Magistrate had to carefully scrutinize the evidence …..... the accused."*

उपरोक्त सुस्थापित विधि के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों की समीक्षा से स्पष्ट है कि परिवाद के माध्यम से परिवादी द्वारा विपक्षीगण के प्रतिकूल दिनॉक 07.08.2018 को समय लगभग 10.30 बजे प्रातः दर्शित स्थान पर तमंचे से आतंकित कर परिवादी के बैग जिसमें बीस हजार रूपये रखे थे, को झपट्टा मारकर छीन ले जाने का आक्षेपण किया गया है।

परिवादी द्वारा अपने सशपथ बयान के माध्यम से परिवाद कथानक का समर्थन किया गया, जबकि स्वतंत्र साक्षी पी0डब्लू01 शिवराम, पी0डब्लू02 कथित चक्षुदर्शी राजेन्द्र कुमार अग्रवाल के सशपथ अभिकथन से भी परिवाद कथानक को समर्थन प्राप्त होता है। न्यायालय द्वारा आहूत साक्षी मु0 हुसैन, गिरवर सोनी एवं आरिफ द्वारा यद्यपि अपने बयान के माध्यम से ऐसी किसी घटना के संबंध में जानकारी होने से इन्कार किया गया। चूॅकि विधि के अधीन अभियुक्तगण की तलबी के उद्वेश्य से मात्र प्रथम दृष्टया मामले के गठन की ही अपेक्षा की गई है, इस स्तर पर परिवाद

कथानक व समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के मत में विपक्षीगण ओम प्रकाश गुप्ता व सत्य प्रकाश गुप्ता के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 392 भा0दं0सं0 का अपराध गठित होना पाया जाता है। उपरोक्तानुसार विपक्षीगण को धारा 392 भा0दं0सं0 के अपराध में विचारण हेतु आहूत किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण ओम प्रकाश गुप्ता व सत्य प्रकाश गुप्ता को धारा 392 भा0दं0सं0 के अपराध में विचारण हेतु जरिये समन आहूत किया जाता है। परिवादी लिस्ट गवाहन सहित पैरवी अंदर दस दिन करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनॉक 18.03.2021 को पेश हो।

दिनांकः 18.02.2021

(प्रकाश तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र)
जालौन स्थान उरई।
आई0डी0नं0यू0पी06317